

सं. ए-52029/1/97-खंड.॥३-रक्षा (स्था.॥/ग्रुप.॥)

भारत सरकार

रक्षा मंत्रालय

*** **

सेना भवन, नई दिल्ली,
दिनांक मार्च, 2022

कार्यालय आदेश

रक्षा मंत्रालय में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए इस मंत्रालय के दिनांक 16.02.2021 के आदेश सं. ए-52029/1/97-खंड.॥३- रक्षा (स्था.॥/ग्रुप.॥) के तहत एक समिति गठित की गई है ।

2. 61वां एनडीसी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए समिति की सदस्या सुश्री नितिका गुप्ता को कार्यमुक्त करने के परिणामस्वरूप उनके स्थान पर सुश्री मनीषा भटनागर, निदेशक (पी-१), डीडीपी को सदस्य के रूप में नियुक्त किया है ।

3. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है ।

(अजय कुमार गौड़)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 23014369

प्रति प्रेषित

1. सुश्री मनीषा भटनागर, निदेशक (पी-१), सदस्या
2. सुश्री नितिका गुप्ता, निदेशक (एएफ)/रक्षा विभाग

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. सुश्री दीप्ति मोहिल चावला, जेएस एवं एएम (एलएस), रक्षा विभाग, अध्यक्ष
2. श्री एस गोपालकृष्णा, निदेशक (प्रशिक्षण), सदस्य
3. सुश्री ज्योति पावा, उपसचिव (डीपी), रक्षा (वित्त), सदस्य
4. सुश्री सुमन शर्मा, अवर सचिव (पुनर्वास.॥/डबल्यूई), डीईएसडब्ल्यू, सदस्य
5. सुश्री अनु आर.शिने, अवर सचिव (एन-॥/ओपीएस), रक्षा विभाग, सदस्य सचिव
6. महिला एवं बाल विकास विभाग, [अवर सचिव(डबल्यूडबल्यू)] शास्त्री भवन, नई दिल्ली
7. राष्ट्रीय महासचिव, भारतीय ईसाई युवा महिला संघ(वाईडब्ल्यूसीए), संसद मार्ग, नई दिल्ली
8. रक्षा मंत्रालय के सभी अनुभाग (सचिवालय)
9. लीडर स्टाफ साइड
10. अवर सचिव(आईटी)—रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए

प्रति सूचनार्थ:-

रक्षा मंत्री के निजी सचिव/ रक्षा राज्य मंत्री के निजी सचिव ।

रक्षा सचिव के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव/ सचिव के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव, (ईएसडब्ल्यू) के डीडीपी/पीपीएस, सचिव (आर एंड डी) के स्टाफ अधिकारी, सचिव (रक्षा वित्त) के पीपीएस अपर सचिव (एससी) के वरिष्ठ पीपीएस/ अपर सचिव (जेएन) के प्रधान स्टाफ अधिकारी/अपर सचिव (डीपी) के पीपीएस/ एएस एवं डीजी (अधिग्रहण) के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव/ एएस एवं एएफ के प्रधान निजी सचिव ।

सभी संयुक्त सचिव/अपर वित्तीय सलाहकार

सभी निदेशक/ डीएस/डीएफए/यूएस/एएफए

सं. ए-52029/1/97-खंड.।।।-रक्षा (स्था.।/ग्रुप.।)

भारत सरकार

रक्षा मंत्रालय

*** **

सेना भवन, नई दिल्ली,
दिनांक 16 फरवरी, 2021

कार्यालय आदेश

रक्षा मंत्रालय के दिनांक 26.06.2019 के आदेश सं. 66/2019 के अनुसरण में कार्यस्थल में महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए रक्षा मंत्रालय में एक समिति गठित की गई थी।

2. सदस्या सुश्री साधना खन्ना के दिनांक 31.10.2020 को अर्धवर्षिता की आयु प्राप्त होने के कारण एतत द्वारा सुश्री निकिता गुप्ता, निदेशक (एएफ)/रक्षा विभाग को उनके स्थान पर सदस्या के रूप में नियुक्त किया जाता है।

3. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(अजय कुमार गौड़)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 23012846

सेवा में,
सुश्री निकिता गुप्ता, निदेशक (एएफ)/रक्षा विभाग, सदस्या

प्रतिलिपि प्रेषित:

11. सुश्री दीप्ति मोहिल चावला, जेएस एवं एएम (एलएस), रक्षा विभाग, अध्यक्ष
12. श्री एस गोपालकृष्णा, निदेशक (एमएस), सदस्य
13. सुश्री ज्योति पावा, उपसचिव (डीपी), रक्षा (वित्त), सदस्या
14. सुश्री सुमन शर्मा, अवर सचिव (पुनर्वास-।/डबल्यूई), डीईएसडब्ल्यू, सदस्या
15. सुश्री अनु आर शिने, अवर सचिव (एन-।।/ओपीएस), रक्षा विभाग, सदस्य सचिव
16. महिला एवं बाल विकास विभाग, [अवर सचिव(डबल्यूडबल्यू)] शास्त्री भवन, नई दिल्ली
17. राष्ट्रीय महासचिव, भारतीय ईसाई युवा महिला संघ (वाईडब्ल्यूसीए), संसद मार्ग, नई दिल्ली
18. रक्षा मंत्रालय के सभी अनुभाग (सचिवालय)
19. लीडर स्टाफ साइड
20. अवर सचिव(आईटी)—रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए

प्रतिलिपि प्रेषित:

रक्षा मंत्री के निजी सचिव/ रक्षा राज्य मंत्री के निजी सचिव।

सचिव के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव/ सचिव के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव, डीडीपी/सचिव के प्रधान निजी सचिव (ईएसडब्ल्यू)/

सचिव (आर एंड डी) के एसओ/सचिव के प्रधान निजी सचिव (रक्षा वित्त) एएस (एससी) के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव/एएस (जेएन) के पीएसओ/एएस (डीपी) के प्रधान निजी सचिव/ डीजी (अधिग्रहण) एवं एएस के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव/

एएस एवं एफए (अधिग्रहण) के प्रधान निजी सचिव

सभी संयुक्त सचिव एवं अपर वित्तीय सलाहकार

सभी निदेशक/उप सचिव/ उप वित्तीय सलाहकार/ अवर सचिव/ अपर वित्तीय सलाहकार

सं. ए-52029/1/97-खंड.111-रक्षा (स्था.1/ग्रुप.1)

भारत सरकार

रक्षा मंत्रालय

*** **

सेना भवन, नई दिल्ली,
दिनांक 26 जून, 2019

कार्यालय आदेश संख्या 66/2019

रक्षा मंत्रालय के दिनांक 15.06.2018 के आदेश सं. 28/2018 का अधिक्रमण करते हुए, कार्यस्थल में महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए रक्षा मंत्रालय में समिति को निम्नानुसार पुनर्गठित किया जाता है:-

क्र.सं.	नाम	पदनाम
1.	सुश्री दीप्ति मोहिल चावला, जेएस एवं एएम (एलएस), रक्षा विभाग	अध्यक्ष
2.	श्री एस गोपालकृष्णा, निदेश (एमएस)	सदस्य
3.	सुश्री साधना खन्ना, उप सचिव (पी-1), डीडीपी	सदस्या
4.	सुश्री ज्योति पावा, उप सचिव (डीपी), रक्षा (वित्त)	सदस्या
5.	सुश्री सुमन शर्मा, अवर सचिव (पुनर्वास-1/डब्ल्यूई), डीईएसडब्ल्यू	सदस्या
6.	सुश्री अनु आर शिने, अवर सचिव (एन-11/ओपीएस), रक्षा विभाग	सदस्य सचिव

2. समिति की कार्यवाहियों में वाईडब्ल्यूसीए, नई दिल्ली का एक प्रतिनिधि भी शामिल किया जाएगा।
3. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(अजय कुमार गौड़)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 23012846

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. शिकायत समिति के अध्यक्ष एवं सभी सदस्य
2. महिला एवं बाल विकास विभाग, [अवर सचिव(डब्ल्यूडब्ल्यू)] शास्त्री भवन, नई दिल्ली-दिनांक 22.05.2019 के अ.शा.प.सं. डब्ल्यूडब्ल्यू-13016/5/2015-डब्ल्यूडब्ल्यू (ई-11600) के संदर्भ में
3. राष्ट्रीय महासचिव, भारतीय ईसाई युवा महिला संघ (वाईडब्ल्यूसीए), संसद मार्ग, नई दिल्ली
4. रक्षा मंत्रालय के सभी अनुभाग (सचिवालय)
5. लीडर स्टाफ साइड
6. अवर सचिव(आईटी)—रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए

प्रतिलिपि प्रेषित:

रक्षा मंत्री के निजी सचिव/ रक्षा राज्य मंत्री के निजी सचिव।
सचिव के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव/ सचिव के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव, डीडीपी/सचिव के प्रधान निजी सचिव (ईएसडब्ल्यू)/

सचिव (आर एंड डी) के एसओ/सचिव के प्रधान निजी सचिव (रक्षा वित्त) एएस (एससी) के वरिष्ठ
प्रधान निजी सचिव/एएस (जेएन) के पीएसओ/एएस (डीपी) के प्रधान निजी सचिव/ डीजी
(अधिग्रहण) एवं एएस के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव/
एएस एवं एफए (अधिग्रहण) के प्रधान निजी सचिव
सभी संयुक्त सचिव एवं अपर वित्तीय सलाहकार
सभी निदेशक/उप सचिव/ उप वित्तीय सलाहकार/ अवर सचिव/ अपर वित्तीय सलाहकार